प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड,
श्रीनगर गढ़वाल

सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के फायदाग्राहियों के ब्यौरे सम्मिलित हैं।

(The manner of execution of subsidy programmes including the amount allocated and the details of beneficiaries of such programmes.)

सामान्य प्रशासन का एवं आयोजनेत्तर/आयोजनागत पक्ष का विभागाध्यक्ष होने के कारण किसी राज्य सहायता या लाभान्वित परिवार/व्यक्ति की योजना संचालित नहीं की जाती ।

तकनीकी शिक्षा के अन्तर्गत राज्य के समस्त राजकीय एवं सहायता प्राप्त पॉलीटेक्निकों में छात्रों को छात्रवृत्ति निम्नवत् प्रदान की जाती है :–

क्र0सं0	श्रेणी	छात्रवृत्ति स्वीकृत करने वाले विभाग का नाम	स्वीकृत धनराशि
1	अनुसूचित जाति	संबधित जिले का समाज कल्याण विभाग	प्रतिमाह प्रति छात्र रू0 310/– छात्रावासीय छात्रों हेतु रू0 510/–
2	अनुसूचित जन जाति	संबधित जिले का समाज कल्याण विभाग	प्रतिमाह प्रति छात्र रू0 310/– छात्रावासीय छात्रों हेतु रू0 510/–
3	अन्य पिछड़ी जाति	संबधित जिले का समाज कल्याण विभाग	प्रतिमाह प्रति छात्र रू0 190/– छात्रावासीय छात्रों हेतु रू0 290/–

- उक्त के अतिरिक्त पालीटेक्निकों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के छात्रों को पुस्तकालय से मुफ्त में पढ़ने के लिए पुस्तकें प्रदान की जाती हैं ।

क्रमशः::::: 2

(पेज संख्या–1 से 3 तक)

बिन्दु –1 :.. शिक्षण संस्थाओं में छात्रों को शैक्षिक सीटों का आरक्षण :

प्रवेश परीक्षा के माध्यम से संस्थाओं में प्रवेश हेतु आरक्षण उत्तराखंड सरकार के सुसंगत शासनादेशों के अधीन निम्नवत् है :–

क्रम संख्या	जिनके लिए आरक्षित है	आरक्षित स्थान	कोड
उर्ध्वाधर आरक्षण			
1	अनुसूचित जाति (S.C.)के अभ्यर्थियों के लिए	19%	SC
2	अनुसूचित जनजाति (S.T.)के अभ्यर्थियों के लिए	04%	ST
3	अन्य पिछड़े वर्ग (O.B.C.)के अभ्यर्थियों के लिए	14%	OBC
4	एन0सी0सी0 प्रमाण पत्र धारकों के लिए	प्रवेश परीक्षा के प्राप्तांकों में ए/बी/तथा सी हेतु प्राप्तांकों का क्रमशः 1,2 तथा 3% जोड़ा जायेगा ।	NCC
क्षैतिज आरक्षण –			
5	स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों के लिए	02% सस्थागत पाठ्यक्रमवार कुल सीटों के सापेक्ष	DFF
6	भूतपूर्व सैनिकों/अपंग/मृत सैनिकों के आश्रित	05% संस्थागत, पाठ्यक्रमवार, कुल सीटों के सापेक्ष	MP
	विकलांग अभ्यर्थियों के लिए	03%	PH
	महिलाओं के लिए	30%	**WO**

नोट :–

1. जो महिला/व्यक्ति जिस वर्ग का होगा/होगी उसे उसी वर्ग में हारिजंटल आरक्षण अनुमन्य होगा ।
2. उपरोक्त आरक्षण उत्तराखंड शासन द्वारा परिवर्तनीय है ।
3. यदि कोई अभ्यर्थी प्रोविजनली चयनित हो जाने की दशा में अपने आरक्षण वर्ग, उपवर्ग का प्रमाण–पत्र शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप पर प्रवेश के समय संस्था में प्रस्तुत नहीं करता है अथवा आरक्षण के संबंध में उसके द्वारा दिया गया वक्तव्य असत्य पाया जाता है तो किसी अन्य वर्ग में समायोजित नहीं किया जायेगा एवं उसकी पात्रता /चयन निरस्त समझा जायेगा ।
4. भूतपूर्व सैनिकों के लिए शासनादेश में दी गयी व्यवस्था के अनुसार आरक्षण दिया जायेगा । आश्रितों की परिभाषा सैनिक कल्याण बोर्ड द्वारा निर्धारित व्यवस्था अनुमन्य होगी ।
5. आरक्षण प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर (जैसा कि संयुक्त प्रवेश परीक्षा पालीटेक्निक्स –2009 के विवरण पुस्तिका जो हर वर्ष छपती है में लिखा जाता है) बना होना अनिवार्य है । आरक्षण (SC, ST,, OBC) का लाभ लेने के लिए उत्तराखंड राज्य का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है । यदि अभ्यर्थी काउंसलिंग के समय प्रमाण पत्र नहीं प्रस्तुत करता है तो उसे काउंसलिंग में प्रवेश के लिए अर्ह नहीं माना जायेगा ।

6. N.C.C. का लाभ लेने के लिए अभ्यर्थियों को आवश्यक है कि आवेदन पत्र भरते समय उनके पास A, B अथवा C सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है, क्योंकि अभ्यर्थी के प्राप्तांकों में अंकों का प्रतिशत क्रमशः 1,2, एवं 3 प्रतिशत जोड़ा जाता है अतः काउंसलिंग में यदि अभ्यर्थी N.C.C. का उक्त प्रमाण पत्र नहीं प्रस्तुत करता है तो काउंसलिंग में प्रवेश का अर्ह नहीं माना जायेगा ।

बिन्दु–2 :– <u>**आयु**</u> : ... प्रवेश चाहने वाले अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा का कोई प्रतिबंध नहीं है ।

नोटः– उपरोक्त आंकड़े उपसचिव प्राविधिक शिक्षा परिषद रूड़की के पत्र संख्या 1418 / उ0प्रा0शि0प्र0 / सू0अ0 / 2009–10 दिनांक 1.9.2009 द्वारा दिये गये पत्र से लिये गये हैं ।

संख्या 740/xli-2011-26/10

प्रेषक,

आर0 के0 सुधांशु,
अपर सचिव(स्वतंत्र प्रभार)
उत्तराखंड शासन।

सेवा में,

सचिव,
उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा परिषद,
रूड़की, हरिद्वार।

प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा अनुभाग   देहरादूनः दिनांक 19 अगस्त, 2011

विषयः– **डिप्लोमा स्तरीय पाठ्यक्रमों में Lateral Entry के माध्यम से प्रवेश दिये जाने के संबंध में।**

महोदय,

उर्पयुक्त विषयक आपके पत्र संख्या– 1480/उ0प्रा0शि0प0/ आई0टी0आई0 ले0इ0/2011–12, दिनांक 12.7.2011 एवं शासनादेश संख्या–686/xli-1/2011-26/10 दिनांक 23.6.2011 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरांत डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में Lateral Entry के माध्यम से प्रवेश के संबंध में निम्नलिखित दिशा निर्देश निर्धारित किये जाते हैं:–

1. डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में Lateral Entry के माध्यम से द्वितीय वर्ष में प्रवेश उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् योग्यता के आधार पर दिया जायेगा किन्तु समयाभाव के कारण शैक्षिक सत्र 2011–12 में यह प्रवेश उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा दिये गये दिशा–निर्देशों के अनुसार किये जायेंगे।
2. डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में Lateral Entry के माध्यम से प्रवेश आदि के संबंध में संलग्नक के अनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
3. त्रिवर्षीय डिप्लोमा ग्रुप '' ए'' पाठ्यक्रम के द्वितीय वर्ष में प्रवेश लेने पर प्रथम वर्ष के विषय English & Communication Skill, applied Mathematics, Applied Physics, Applied Chemistry, Basic of Information Technology को निर्धारित अवधि में उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा। उक्त विषयों के प्राप्तांक परीक्षार्थी के कुल प्राप्तांकों को प्रभावित नहीं करेगा। डिप्लोमा प्रथम वर्ष के इन विषयों को उत्तीर्ण करने हेतु डिप्लोमा पाठ्यक्रम की अवधि के अतिरिक्त और दो वर्ष का नियमानुसार विशेष अवसर प्राप्त होगा। जिन्हें उत्तीर्ण करने पर संबंधित पाठ्यक्रम में प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा डिप्लोमा प्रमाण पत्र निर्गत किया जायेगा।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय
ह0अ0
(आर0के0सुधांशु)
अपर सचिव(स्वतंत्र प्रभार)